भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4559

उत्तर देने की तारीख 27.03.2025

जनजातीय लोगों का मानव विकास सूचकांक

4559. श्री टी.आर.बालू:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनजातीय लोगों के मानव विकास सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय में पिछले दस वर्षों के दौरान कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में राज्यों के बीच गहरे मतभेदों को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ताकि देश भर में जनजातीय लोगों के जीवन स्तर को समान स्तर पर लाया जा सके?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ख): यद्यपि स्कूल नामांकन दर, विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों और जनजातियों की प्रति व्यक्ति आय के मानव विकास संकेतकों के बीच अंतर हैं, फिर भी पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जनजातियों की तुलनात्मक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

तालिका 1: नीचे तुलनात्मक वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जनजातियों और सभी के बीच सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) दर्शाती है।

जीईआर						
	2012-13		2021-22		2023-24	
	अनुसूचित जनजाति	सभी	अनुसूचित जनजाति	सभी	अनुसूचित जनजाति	सभी
प्राथमिक	107.76	98.81	103.4	100.13	97.1	91.7
माध्यमिक	64.94	68.71	78.1	79.56	76.9	77.4
वरिष्ठ (सीनियर)-माध्यमिक	28.21	40.11	52	57.56	48.7	56.2

तालिका 2: 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में शिशु मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव और बौनेपन की व्यापकता को दर्शाती है

	आईएमआर (प्रति 100000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु)		संस्थागत प्रसव (%)		बच्चों की पोषण स्थिति - (5) वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन की व्यापकता (%)	
	अनुसूचित जनजाति	सभी	अनुसूचित जनजाति	सभी	अनुसूचित जनजाति	सभी
एनएफएचएस 3 (2005-06)	62.1	57	17.7	38.6	53.9	48
एनएफएचएस 5 (2019-21)	41.6	35.2	82.3	88.6	40.9	35.5

स्रोत: एनएफएचएस-3 और एनएफएचएस-5 स्टंटिंग (बौनेपन) को ऐसे बच्चे के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी आयु के अनुसार ऊंचाई विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाल विकास मानकों के मध्यमान से दो मानक विचलन से ज्यादा कम होती है।

तालिका 3: औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय दर्शाती है

	2011-12		**2023-24**	
औसत एमपीसीई (रु. में)	**बिना किसी अभ्यारोपण के**		**बिना किसी अभ्यारोपण के**	
	ग्रामीण	**शहरी**	**ग्रामीण**	**शहरी**
अनुसूचित जनजाति	1122	2193	3363	6030
सभी	1430	2630	4122	6996

स्रोत: घरेलू उपभोक्ता व्यय 2023-24 और 2011-12, एमओएसपीआई

अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य सामाजिक समूहों के बीच मानव विकास में अंतर को कम करना हमेशा से सामाजिक-आर्थिक विकास नीति की प्राथमिकता रही है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।

सकल नामांकन अनुपात में समग्र वृद्धि देखी गई है, स्वास्थ्य संकेतक सकारात्मक रुझान दिखाते हैं। जनजातियों के बीच प्रति व्यक्ति खपत (उपभोग) 2011-12 में 1122 से बढ़कर 2022-23 में 3098 हो गई है। राज्य-वार स्वास्थ्य संकेतक **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न हैं।

(ग): जांच करने पर हम पाते हैं कि जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। बड़ी संख्या में कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं और इसका उद्देश्य निगरानी और पारदर्शिता के माध्यम से कार्यान्वयन में सुधार करना है, ताकि जनजातीय लोगों के जीवन स्तर में अंतर को सुधारा जा सके। 1999 में अपनी स्थापना के बाद से जनजातीय कार्य मंत्रालय इन अंतरों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम/योजनाएँ चला रहा है ताकि जनजातीय समुदाय को बाकी आबादी के बराबर लाया जा सके।

(i) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालयों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) को वर्ष 2018-19 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था। सरकार ने 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया। इससे पहले, ईएमआरएस को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित किया जाता था, जिसे नए मॉडल के अनुसार उन्नत किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अजजा छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आज की तारीख तक, 718 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से देश भर में 476 ईएमआरएस के कार्यरत होने की सूचना है, जिससे 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लगभग 1,36,545 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।

(ii) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) का उद्देश्य 18 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास है, जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं में पीछे रह गए हैं। पीएम-जनमन सभी पात्र पीवीटीजी लाभार्थियों / पीवीटीजी गांवों और बस्तियों को कवर करने के उद्देश्य के लिए विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त किए जा रहे मौजूदा अंतरों पर आधारित 11 महत्वपूर्ण उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, संचार मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संबंधित मंत्रालय हैं।

(iii) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)

माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरूआत की। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को पाटना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अभियान के तहत प्रत्येक मंत्रालय को बजट और लक्ष्य आवंटित किए गए हैं और वे उन्हें सौंपे गए उपाय को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। अभियान का उद्देश्य अभिसरण और आउटरीच के माध्यम से संतृप्ति प्राप्त करना है। डीएजेजीयूए, पीएम जनमन से व्यापक और बड़ा है तथा अधिक लाभार्थियों के लिए अधिक संकेतकों को कवर करेगा।

(iv) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान (परंतुक) के तहत अनुदान

यह भारत सरकार की ओर से 100% अनुदान है, जिसका वित्तपोषण राज्य को विकास की ऐसी योजनाओं की लागत को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है, जो राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उस राज्य के बाकी क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर तक बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा शुरू की जा सकती हैं। सरकार ने देश भर में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं जैसे (i) शिक्षा (ii) स्वास्थ्य (iii) कृषि, बागवानी, पशुपालन (एएच), मत्स्य पालन, डेयरी और प्राथमिक क्षेत्र में अन्य पहल(iv) जनजातीय घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अन्य आय पैदा करने वाली योजनाएं और (v) प्रशासनिक संरचना / संस्थागत ढांचा और अनुसंधान (शोध) अध्ययन |

(v) टीआरआई को सहायता

इस योजना के तहत मंत्रालय जनजातियों की संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों के संरक्षण के लिए जनजातीय आबादी से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जनजातीय त्योहारों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालयों की स्थापना सहित टीआरआई द्वारा की जाने वाली अन्य गतिविधियों पर अनुसंधान (शोध) को वित्तपोषित कर रहा है। यह मुख्य रूप से जनजातियों के आत्म-सम्मान और सम्मान के निर्माण में मदद करता है।

(vi) जनजातीय कार्य मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाएं

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बीच बुनियादी और उच्चत्तर शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रहा है: -

(i) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X): यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

(ii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर): यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका क्रियान्वयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।

(iii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चत्तर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति: यह जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

(iv) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके अंतर्गत प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों को विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(vii) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) का उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहलों को मजबूत करना और आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना में चयनित एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित और घोषित करने की परिकल्पना की गई है। विशेष एमएफपी वस्तु के प्रचलित बाजार मूल्य की स्थिति में गिरावट आने की स्थिति में पूर्व-निर्धारित एमएसपी पर खरीद और विपणन संचालन नामित राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस योजना में मध्यमिक और दीर्घकालिक मुद्दों जैसे टिकाऊ संग्रह, मूल्य संवर्धन, बुनियादी ढांचे का विकास, एमएफपी के ज्ञान आधार का विस्तार और बाजार आसूचना विकास का भी समाधान किया गया है। पीएमजेवीएम के अंतर्गत लघु वनोपजों के लिए एमएसपी घटक अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है, जिनकी आजीविका लघु वनोपजों के संग्रहण और बिक्री पर निर्भर करती है।

अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)।

भारत सरकार ने देश में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में जनजातीय उप-योजना/डीएपीएसटी को अपनाया है। इसमें 41 मंत्रालय शामिल हैं और इसकी बहुआयामी कार्यनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलापूर्ति, आजीविका आदि के लिए सहायता शामिल है। डैशबोर्ड उपलब्ध है और इसकी निरंतर निगरानी की जाती है।

कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रमुख संकेतकों पर राज्य-वार विवरण

एनएफएचएस-3 2005-06							
क्र. सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**शिशु मृत्यु दर**		**संस्थागत वितरण**		**बच्चों की पोषण स्थिति - (5) वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन की व्यापकता (%)**	
		कुल	**अनुसूचित जनजाति**	**कुल**	**अनुसूचित जनजाति**	**कुल**	**अनुसूचित जनजाति**
	भारत	**57.0**	**62.1**	**38.6**	**17.7**	**48.0**	**53.9**
1	आंध्र प्रदेश	68.4	(94.1)	64.4	27.3	42.7	54.9
2	अरुणाचल प्रदेश	66.6	67.6	28.5	29.4	43.3	44.3
3	असम	70.9	(59.0)	22.4	23.5	46.5	38.1
4	बिहार	65.0	एनए	19.9	एनए	55.6	एनए
5	छत्तीसगढ़	80.8	90.6	14.3	3.9	52.9	51.6
6	दिल्ली	38.5	*	58.9	*	42.2	*
7	गोवा	25.8	*	92.3	87.1	25.6	(35.9)
8	गुजरात	62.8	(86.0)	52.7	21.3	51.7	60.9
9	हरियाणा	44.2	एनए	35.7	एनए	45.7	एनए
10	हिमाचल प्रदेश	38.3	*	43.0	(44.1)	38.6	(28.1)
11	जम्मू एवं कश्मीर	45.5	(34.3)	50.2	27.4	35.0	39.5
12	झारखंड	76.6	93.0	18.3	7.8	49.8	54.5
13	कर्नाटक	53.0	(45.8)	64.7	41.5	43.7	51.0
14	केरल	17.7	*	99.3	*	24.5	*
15	मध्य प्रदेश	81.9	95.6	26.2	8.0	50.0	56.4

16	महाराष्ट्र	45.3	51.4	64.6	24.2	46.3	57.8
17	मणिपुर	35.9	51.2	45.9	20.4	35.6	45.6
18	मेघालय	48.0	49.3	29.0	27.4	55.1	55.4
19	मिजोरम	33.3	एनए	59.8	एनए	39.8	एनए
20	नागालैंड	48.3	45.8	11.6	10.2	38.8	37.2
21	ओडिशा	67.7	78.7	35.6	11.7	45.0	57.2
22	पंजाब	44.9	एनए	51.3	एनए	36.7	एनए
23	राजस्थान	72.7	73.2	29.6	24.7	43.7	48.8
24	सिक्किम	35.3	(28.9)	47.2	42.4	38.3	45.2
25	तमिलनाडु	37.7	*	87.8	*	30.9	*
26	त्रिपुरा	57.7	*	46.9	31.8	35.7	30.7
27	उत्तर प्रदेश	83.0	एनए	20.6	1.5	56.8	68.5
28	उत्तराखंड	54.8	*	32.6	7.9	44.4	(47.9)
29	पश्चिम बंगाल	52.1	*	42.0	17.9	44.6	58.6

एनएफएचएस-5 2019-21							
क्र. सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**शिशु मृत्यु दर**		**संस्थागत वितरण**		**बच्चों की पोषण स्थिति - (5) वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन की व्यापकता (%)**	
		कुल	**अनुसूचित जनजाति**	**कुल**	**अनुसूचित जनजाति**	**कुल**	**अनुसूचित जनजाति**
	भारत	**35.2**	**41.6**	**88.6**	**82.3**	**35.5**	**40.9**
1	आंध्र प्रदेश	30.2	एनए	96.5	89.3	31.2	41.0
2	अरुणाचल प्रदेश	12.9	(1.9)	79.2	80.3	28.0	27.9

3	असम	31.9	33.9	84.1	89.8	35.3	30.7		
4	बिहार	46.8	57.0	76.2	67.7	42.9	42.4		
5	छत्तीसगढ़	44.2	58.0	85.7	77.4	34.6	38.4		
6	दिल्ली	24.5	एनए	91.8	(92.6)	30.9	(25.7)		
7	गोवा	एनए		99.7	(100.0)	25.8	(33.6)		
8	गुजरात	31.2	31.9	94.3	89.3	39.0	45.4		
9	हरियाणा	33.3	एनए	94.9	95.4	27.5	(39.5)		
10	हिमाचल प्रदेश	25.6	(20.8)	88.2	82.1	30.8	32.9		
11	जम्मू एवं कश्मीर	16.3	30.1	92.4	77.5	26.9	26.8		
12	झारखंड	37.9	44.4	75.8	66.4	39.6	44.9		
13	कर्नाटक	25.4	28.7	97.0	95.7	35.4	39.5		
14	केरल	4.4	एनए	99.8	100.0	23.4	36.9		
15	मध्य प्रदेश	41.3	41.3	90.7	82.0	35.7	40.0		
16	महाराष्ट्र	23.2	31.1	94.7	84.8	35.2	41.4		
17	मणिपुर	25.0	23.2	79.9	59.2	23.4	26.8		
18	मेघालय	32.3	32.6	58.1	57.6	46.5	46.6		
19	मिजोरम	21.3	एनए	85.8	87.4	28.9	28.5		
20	नागालैंड	23.4	एनए	45.7	43.5	32.7	32.6		
21	ओडिशा	36.3	55.9	92.2	82.8	31.0	42.1		
22	पंजाब	28.0	एनए	94.3	(86.2)	24.5	एनए		
23	राजस्थान	30.2	43.2	94.9	94.0	31.8	35.9		
24	सिक्किम	11.2	एनए	94.7	97.1	22.3	19.7		
25	तमिलनाडु	18.6	एनए	99.6	100.0	25.0	31.2		
26	तेलंगाना	26.4	39.6	97.0	94.0	33.1	33.4		

27	त्रिपुरा	37.6	50.8	89.2	85.9	32.3	34.2	
28	उत्तर प्रदेश	50.4	57.6	83.4	74.7	39.7	49.2	
29	उत्तराखंड	39.1	एनए	83.2	84.8	27.0	23.7	
30	पश्चिम बंगाल	22.0	(26.7)	91.7	90.8	33.8	36.7	

*****